समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

PBR/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2017/3724

443

प्र0क0 /2017 निगरानी

1. अजय सिह पुत्र [redacted] श्री जामल सिह आयु 27 वर्ष व्यवसाय मजदूरी
2. लखन सिंह पुत्र [redacted] श्री भवर सिंह आयु 26 वर्ष व्यवसाय मजदूरी
3. अर्जुन सिंह पुत्र स्व0 श्री मोहन सिंह आयु 28 वर्ष व्यवसाय मजदूरी समस्त निवासीगढ रतलाम रोड रेदास कालोनी खाचरौद जिला उज्जैन म.प्र. ।

..............आवेदकगण

विरूद्ध

1. खुमान सिह पिता हीराजी जाति भील निवासी अशोक मार्ग , लिमडावास खाचरौद जिला उज्जैन म.प्र. ।
2. ऋतेश पिता रमणलालजी बुपक्या जाति जैन निवासी विक्रम मार्ग खाचरौद जिला उज्जैन म. प्र।

..........अनावेदकगण

सुनील सिंह भाटी द्वारा आज दि. 6-10-17 को

क्लर्क ऑफ कोर्ट 6-10-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 7-11-2017

निगरानी अतर्गत धारा 50 एवं सहपठित धारा 32 म0प्र0 भू–राज्य सहिता 1959 के तहत विरूद्ध अपर कलेक्टर उज्जैन महोदय के प्रकरण कमाक 03/अ–21/2016–17 आलोच्य आदेश दिनांक 29.10.2016 के विरूद्ध निगरानी ।

सुनील भाटी Adv.
6-10-17

Sanjay Mittal Ad.

7-11-17

अजय सिह
लखन परमार
अर्जुन सिंह

(543)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2017/3724

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१९ को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। (3) **प्रशासकीय सदस्य**	